

पंचायत निगरानी संख्या : 448/2024

उनवान : हसमुख बनाम टाइगर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 448/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/577

प्रार्थी :-

अप्रार्थीगण :-

हसमुख पुत्र पुखराज जाति जैन  
निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला  
पाली राज.

बनाम

1. टाइगर पुत्र श्री मोहनलाल जाति  
छीपा, निवासी बेड़ा, तहसील बाली,  
जिला पाली, राज.
2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम  
पंचायत बेड़ा तहसील बाली, जिला  
पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा मिसल संख्या 72/2020-21 के तहत जारी पट्टा नम्बर 17 दिनांक 18.10.2021 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

—:निर्णय:—

दिनांक: 27.05.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बेड़ा के मिसल संख्या 72/2020-21 के तहत जारी पट्टा नम्बर 17 दिनांक 18.10.2021 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बेड़ा तहसील बाली के बमोहल्ला भटवाडा रो दरवाजो तरफ से सेन्दला रा दरवाजा पर निम्नलिखित नाप व पड़ोस का आवासीय मकान प्रार्थी के स्वामित्व का पट्टा शुदा, कब्जा शुदा, मिलिकीयत व स्वामित्व का आया हुआ है। जो सम्पति प्रार्थी व अन्य को मोहन, घीसु, पीसरान छोगाजी जाति राव निवासी बेड़ा से पुखराज, मनोज कुमार, हसमुखलाल बेटा पोता रुपचंद वनाजी रा जाति जैन पोरवाल निवासी बेड़ा ने निम्नलिखित नाप व पड़ोस की सम्पति को जरिये जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.05.1968 को खरीद किया व उक्त सम्पति का पट्टा नम्बर 633 जरिये मिसल संख्या 52/28-29 दिनांक 07.12.1930 ठिकाना बेड़ा द्वारा भाट पुना बेटो नवा रो छोगा बेटा नवा रो सकरियो बेटा पुना रो के नाम से ठिकाना बेड़ा द्वारा जारी किया गया जो कुल पट्टा नाप से 58 फीट लम्बा व 66 फीट चौड़ा का आया हुआ है। जिसमें से निम्नलिखित नाप व पड़ोस की सम्पति को प्रार्थी व अन्य द्वारा खरीद किया गया जिसके पड़ोस निम्न हैं:-

उत्तर में:- मुख्य द्वार आगे रास्ता।

दक्षिण में:- खरीददार का मकान।

पूर्व में:- खरीददार का मकान।

पश्चिम में:- पट्टा नम्बर 633 का शेष भाग।

उपरोक्त पड़ोस का भूखण्ड नाप में पूर्व से पश्चिम 75 फीट लम्बा व पूर्वी भुजा उत्तर से दक्षिण 13 फीट चौड़ी नाप में कुल 1200 वर्गफीट का जारी किया गया वह उक्त भूखण्ड प्रार्थी के सम्पति के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली जिला पाली

## पंचायत निगरानी संख्या : 448 / 2024

उनवान : हसमुख बनाम टाईगर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम,  
1994

उत्तर दिशा में जहां पर मुख्य द्वार व आगे रास्ता दर्शाया गया के अडोअड बनाया गया है जो कि स्पष्टतया आम रास्ता की भूमि पर प्रार्थी की सम्पत्ति का एलीवेशन व फ्रन्टेज को दबाने की बदनियति से किया गया है जिस पट्टा नम्बर 17 की जानकारी प्रार्थी को अप्रार्थी टाईगर द्वारा मकान का निर्माण माह अगस्त 2024 में किये जाने पर सर्वप्रथम हुई जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत बेड़ा से दिनांक 20.08.2024 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र पेश कर नकले मांगी गई लेकिन प्रार्थी के कहने निवेदन करने के उपरान्त भी प्रार्थी को आवश्यक मिसल की नकले प्रमाणित कर नहीं दी गई। जिस पर प्रार्थी उक्त निगरानी के ग्राम पंचायत बेड़ा का अभिलेख तलब करने के साथ यह पंचायत निगरानी निम्न आधारों व वजुआतों पर पेश करता है।

1. यह है कि ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा अप्रार्थी टाईगर के नाम जो पट्टा न. 17 के जरिये आवासीय सम्पत्ति का पट्टा बनाकर दिया है वह बनाकर दिये जाने में कानूनी एवं वाक्याती गलती की है। जिससे पट्टा नम्बर 17 दिनांक 18.10.2021 काबिल निरस्त के है।
2. यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा मिसल संख्या 72/20-21 मुर्तीब करने के बाद विवादित स्थल का मौका मुआयना व अवलोकन नहीं किया व इसी वजह से जो पट्टा नम्बर 17 जारी किया गया है वह आम रास्ता की भूमि पर ग्राम पंचायत को विक्रय करने का, पट्टा मुर्तीब करने का विधि के तहत कोई हक अधिकार नहीं है। जिससे भी पट्टा नम्बर 17 दिनांक 18.10.2021 विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्त के है।
3. यह है कि प्रार्थी की स्वामित्व की सम्पत्ति के उत्तर दिशा में दरवाजा व आम रास्ता आया हुआ है व अप्रार्थी टाईगर को आम रास्ता की भूमि का पट्टा जारी करके दिया है व अप्रार्थी ने पट्टा नम्बर 17 की आड में प्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति पूर्व से पश्चिम जो 33 फीट चौड़ी थी उसक लगते 23 फीट की भूमि पर पक्का निर्माण कार्य कर पूरा प्रार्थी का फ्रन्टेज व एलीवेशन दबा दिया है एवं प्रार्थी की सम्पत्ति के उत्तर दिशा में जो दरवाजा लोहे की फाटक सहित लगा हुआ है उससे भी बाधा उत्पन्न कर प्रार्थी की गैर हाजिरी में अवैध निर्माण किया है जिससे भी प्रार्थी की निगरानी काबिल स्वीकृति के है व पट्टा नम्बर 17 दिनांक 18.10.2021 काबिल निरस्त के है।
4. यह है कि प्रार्थी के उत्तर दिशा के आम रास्ता है व आम रास्ते को न तो बेचा जा सकता है न ही विक्रय विलेख बनाया जा सकता है मात्र ग्राम पंचायत स्थानिय निकाय होने से रास्ते की कस्टोडियन होती है। जिसको रास्ता बनाये रखने की जिम्मेवारी होती है फिर भी स्वयं ग्राम पंचायत ने अवैध कृत्य करने में कोई कोताही नही बरती है। जिससे भी प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल स्वीकृति के है।
5. यह है कि आम रास्ते की भूमि का पट्टा विलेख ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा जारी किया गया है, जिस विक्रय विलेख को निरस्त कराने की कोई समय सीमा नहीं है व प्रार्थी को माह अगस्त 2024 में जैसे ही पट्टा न. 17 की जानकारी हुई प्रार्थी ने दिनांक 20.08.2024 को ग्राम पंचायत बेड़ा से नकले मांगी जो नकले प्रदान नही की गई। जिससे प्रार्थी की ओर से बिना किसी देरीना अन्दर अवधिकाल यह निगरानी याचिका पेश है।

अतः पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा जारी पट्टा नम्बर 17 दिनांक 18.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 टाईगर के नाम जारी किया गया है जिसको निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:-

मेरे निगरानी आलोच्य पट्टा नम्बर 7 दिनांक 18.10.2021 पंजीयन दिनांक 26.11.2021 से कवर्ड मकान की भूमि का कोई भू-भाग रास्ता की भूमि नहीं है।

यह कि प्रार्थी ने उक्त याचिका के जरिये ठिकाना बेड़ा की मिसल संख्या 52/28-29 दिनांक 07.12.1930 के जरिये पट्टा नम्बर 633 भाट (राव) पुना बेटो नवा रो छोगा बेटो नवा रो सकरियो बेटा पुना रो के नाम से कुल पट्टा नाप में 58 फीट लम्बा व 66 फीट चौड़ा ठिकाना बेड़ा द्वारा जारी किया जाने व जायगा भूखण्ड के चतुर्थ दिशा के पड़ौस पट्टा में उल्लेखित अनुसार निम्न है।

जायगा के पड़ौस की विगत:- जायगा रो बारनो धराउ ने आगे आम रास्ता रो गढ री भीत में खोलसी (धराउ-उत्तर)

जायगा में पेस्ता बाजु जीमणी आथुन ने भटवार का दरवाजा मायसु रास्तो आम निकले है।(आथुन-पश्चिम)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली



जायगा में पेस्ता बाजु डावी उगनाउ ने कुमार चेना रेवे है मकान खालसा का है।  
(उगनाउ-पश्चिम)

जायगा री पुठ लंकाउ ने आम रास्ता (लंकाउ-दक्षिण)

नोट: प्रार्थी ने निगरानी याचिका में पट्टा से भिन्न पड़ौस दर्शाय हैं।

प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत पट्टा की प्रति जो महाजनी भाषा में उल्लेखित है के हिन्दी अनुवाद की प्रति सलंगन है। सलंगन नजरी नक्शा उजर आपत्ति का अभिन्न भाग है उपरोक्त विवरण पड़ौस बीच के भूखण्ड को सलंगन नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. ए बताया गया है।

3. प्रार्थी ने याचिका में ठिकाना बेड़ा की मिसल संख्या 52-28-29 दिनांक 07.12.1930 को जारी पट्टा में से पूर्वी भू-भाग खरीद करना बताया है जो नजरी नक्शा में मार्क सी.डी.ई. एफ.सी. दर्शाया गया जो याचिका कर्ता द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 10.07.1968 से प्रमाणित है याचिका कर्ता के द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 10.07.1968 में उत्तर का पड़ौस मुल पट्टे के विपरित लिखा गया है। मुल पट्टे में गढ़ की भीत में मात्र दरवाजा खोलने का ही उल्लेख है। याचिका कर्ता द्वारा गढ़ की भीत के उत्तर की तरफ लगती हुई सम्पूर्ण भूमि को आम रास्ता गलत तौर से बताया जा रहा है।
4. यह है कि सलंगन नजरी नक्शे में मार्क सी.डी.जी.एच. सी. के भू-भाग को याचिका कर्ता की खरीदसुदा भूमि के पट्टा दिनांक 07.12.1930 में उल्लेखित कुमार चुना का मकान खालसा में स्थित होना उल्लेखित हैं एवं जिसका पट्टा तत्कालिक ठाकुर जंगजीत सिंह द्वारा पट्टा बही नम्बर 31 महाजन रुपचंद नरसिंगलाल, देवीचंद, पुखराज, सुकनराज, पारसमल बेटा पोता वना रा के हक में जारी करना दर्शाया गया है जिस पट्टे के उत्तर दिशा में सरेपना की दिवार उल्लेखित है। यानि की आम रास्ता उल्लेखित नहीं है। उक्त पट्टा की भूमि कुमार चेना से एवं ठिकाना से खरीद का भी उल्लेख है जो पट्टा दिनांक 17.12.1947 का है। पट्टा की फोटोप्रति याचिका कर्ता ने प्रस्तुत कर रखी है जिसकी फोटो प्रति के आधार पर आपत्ति कर्ता ने हिन्दी अनुवाद भी टाईप करवाया हैं।
5. यह है कि गढ़ की दिवार के उत्तर की ओर स्थित सम्पूर्ण भूमि आम रास्ता की भूमि नहीं है बल्कि खालसा भूमि स्थित रही हैं जिसमें ग्राम पंचायत बेड़ा को पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार हैं।  
यह है कि गढ़ की दिवार से लगते हुए बीसीयो मकान स्थित हैं अप्रार्थी का पुश्तैनी पुराना मकान बना हुआ था जिसके आधार पर ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा विधि अनुसार सही पट्टा जारी किया गया हैं अप्रार्थी द्वारा उक्त पुश्तैनी मकान का जीर्णोद्धार करवाये जाने पर याचिकाकर्ता ने याचिका प्रस्तुत करने के बाद गढ़ की दिवार को तोड़ कर उक्त दरवाजा खोला गया हैं। प्रार्थी ने याचिका में स्वयं की सम्पत्ति का ऐलीवेशन व फ्रन्टेज दब जाने को आधार बना कर याचिका प्रस्तुत की है जिस हेतु श्रीमान न्यायालय सक्षम मंच नहीं है। घोषित रास्ता के अभाव में याचिकाकर्ता की उक्त निगरानी याचिका कानूनन परिपोषणीय नहीं है।
7. यह है प्रार्थी ने याचिका के जरिये पट्टा नम्बर 17 दिनांक 18.10.2021 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है परन्तु उक्त पट्टा दिनांक 26.11.2021 को पंजीबद्ध किया हुआ हैं। पंजीबद्ध पट्टा को जैर निगरानी निरस्त करने हेतु श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे भी प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल खारिज है। अतः आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि याचिकाकर्ता की याचिका खारिज फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रश्नगत विक्रय विलेख निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के विपरित जारी किया गया है, क्योंकि भूमि आवंटन हेतु जारी इश्तिहार में आमजन से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं, किन्तु आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही दिनांक 18.10.2021 को पट्टा निष्पादित कर दिया गया, जो कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 के नियम 148 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कारण उक्त पट्टा प्रारम्भ से ही (ab initio void) शून्य एवं अवैध है। साथ ही यह भी कि प्रश्नगत पट्टा जिस भूमि का निष्पादित किया गया है, वह सार्वजनिक उपयोग में आने वाली रास्ते की भूमि है, जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु किया जाता रहा है। ऐसी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि का किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना विधि एवं स्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने के साथ-साथ जनहित के भी प्रतिकूल है। अतः आलौच्य विक्रय विलेख को निरस्त फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 448 / 2024

उनवान : हसमुख बनाम टाइगर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी इस प्रकरण में व्यथित पक्षकार नहीं है, अतः उसे उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, साथ ही प्रश्नगत पट्टा भूमि किसी प्रकार से सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि नहीं है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना में नियमानुसार उक्त विक्रय विलेख निष्पादित किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने आगे तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते अथवा मार्ग संबंधी अधिकार का दावा किया जाता है, तो ऐसे अधिकारों का निर्धारण एवं प्रवर्तन सिविल प्रकृति का विषय है, जिसका निर्णय करने तथा अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है न कि श्रीमान न्यायालय को। इसके अतिरिक्त यह भी कि विवादित पट्टा विधिवत निष्पादित एवं पंजीकृत दस्तावेज है, जिसे केवल निगरानी कार्यवाही के माध्यम से निरस्त अथवा खारिज नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ तथ्य एवं विधि दोनों दृष्टियों से निराधार है, जिसके कारण निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए:-

1 RRT 2015 (2) Page 967

2 218 RRT 2022 (1)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। साथ ही, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्व अध्ययन किया गया।

प्रकरण की संक्षिप्त विषयवस्तु इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी श्री टाइगर के पक्ष में ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 17 दिनांक 18.10.2021 को निगरानी याचिका के माध्यम से प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति प्रस्तुत की है कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख रास्ते की भूमि से संबंधित होने के कारण प्रारम्भतः ही शून्य है। प्रार्थी का भूखण्ड/मकान इसी तथाकथित रास्ते की भूमि से लगता अवस्थित है।

यह स्वीकार्य स्थिति (Admitted Position) है कि प्रार्थी का भूखण्ड (मकान) दिनांक 23.05.1968 को सर्वश्री मोहर, घीसू पि. छोगाजी से ज़रिए पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किया गया था। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि प्रार्थी के उक्त भूखण्ड का रियासतकाल में ठिकाना बेड़ा द्वारा एक पट्टा विलेख संख्या 633 (मिसल संख्या 52/28-29) दिनांक 07.12.1930 को पूर्व में ही जारीशुदा है जो कि बमाप 58 x 66 फीट का था। उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड का आधा हिस्सा अर्थात् बमाप 58 x 33 वर्गफीट प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.1968 को क्रय किया गया तथा पश्चिम दिशा में स्थित आधा हिस्सा श्री अचलचन्द पुत्र प्रेमचन्द जैन द्वारा क्रय किया गया।

यह भी स्वीकार्य स्थिति (Admitted Position) है कि पूर्वोक्त पट्टा विलेख संख्या 633 दिनांक 07.12.1930 की चतुर्दशी में पूरब (आगुणा दिशा) में अंकित कुमार चेना के मका का भी ठिकाना बेड़ा द्वारा एक पट्टा विलेख बही संख्या 31 दिनांक 17.12.1947 को जारीशुदा है। प्रार्थी का तर्क है कि ठिकाना बेड़ा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 633 दिनांक 07.12.1930 में अंकित चतुर्दशी अनुसार उत्तर दिशा में रास्ता अंकित है एवं इसी भूखण्ड की उत्तर दिशा में अर्थात् रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 17 दिनांक 18.10.2021 को निष्पादित किया गया, जो अवैध एवं शून्यकरणीय है।

इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा यह तो स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी के भूखण्ड/मकान की उत्तर दिशा में ही उसका जैर निगरानी भूखण्ड अवस्थित है किन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के इस कथन का खण्डन किया है कि उत्तर दिशा में कोई रास्ता अवस्थित है। अप्रार्थी द्वारा जवाबपत्र में अंकित कथनानुसार उत्तर दिशा में कोई आम रास्ता न होकर गढ की दीवार (भीत) होना ही अंकित है तथा इसके प्रमाणस्वरूप अप्रार्थी ने कुमार चेना के मकान का ठिकाना बेड़ा द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 17.12.1947 में अंकित चतुर्दशी का अवलम्ब लिया है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दावे प्रतिदावे के आलोक में मूल प्रश्न यह है कि "क्या प्रार्थी/याचिकाकर्ता के भूखण्ड के उत्तर दिशा में अवस्थित अप्रार्थी का भूखण्ड रास्ते की भूमि में अवस्थित है एवं ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को रास्ते की भूमि का विक्रय कर अवैधानिक कार्यवाही प्रभाव में लाई गई है?"

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

## पंचायत निगरानी संख्या : 448 / 2024

उनवान : हसमुख बनाम टाईगर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

इस संबंध में, प्रार्थी के भूखण्ड का ठिकाना बेड़ा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 633 दिनांक 07.12.1930 का अवलोकन करना प्रासंगिक है। उक्त पट्टा विलेख के पृष्ठ भाग में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा के संबंध में यह अंकित है कि "जायगा रो बारनो धाराऊ में आगे आम रास्त रो गढ़ री भीत में खोलसी"।

अर्थात् प्रार्थी के रहवासी भूखण्ड के पूर्व पट्टे में धराउ (उत्तर दिशा) आम रास्ता होने तथा उक्त भूखण्ड का निकास दरवाजा उस रास्ते पर गढ़ की भीत (दीवार) में खोलने का स्पष्ट अंकन है।

इसी प्रकार, उक्त पट्टा विलेख 633 दिनांक 07.12.1930 की चतुर्दशी में पूरब (आगुणा) दिशा में कुमार चेना का मकान होना अंकित किया है। इस सम्बन्ध में रेस्पोजेण्ट ने अपने जवाबपत्र में यह अंकित किया है कि उक्त कुमार चेना के भूखण्ड का ठिकाना बेड़ा द्वारा एक पट्टा विलेख दिनांक 17.12.1947 को निष्पादित किया गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त पट्टा विलेख दिनांक 17.12.1947 की अनुवादित एवं मूल प्रति के अवलोकन से यह ज़ाहिर होता है कि प्रार्थी का रहवासी भूखण्ड तथा उक्त कुमार चेना का भूखण्ड दोनों समानान्तर स्थित है जिनकी उत्तर दिशा समान है। कुमार चेना के भूखण्ड के पट्टा विलेख की चतुर्दशी में भी उसी 'सरेपना दीवार' का अंकन है जो कि प्रार्थी के भूखण्ड के पट्टे की उत्तर दिशा में अंकित है जिस दिवार में प्रार्थी के भूखण्ड का निकास द्वार खोलने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अप्रार्थी श्री टाईगर द्वारा जवाबपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से भी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि अप्रार्थी का विवादग्रस्त भूखण्ड रास्ते की भूमि में स्थित है। अप्रार्थी को जारी आलोच्य पट्टे एवं उक्त नजरी नक्शे के सहपठन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में अंकित निकास व रास्ता तथा निगरानीकर्ता के उत्तर दिशा में स्थित रास्ता समान एवं पत्रावली में उपलब्ध मौके के फोटोग्राफ्स में अप्रार्थी के मकान के अतिरिक्त उस बिल्डिंग लाईन में अन्य कोई मकान एवं निर्माण भी दृष्टिगत नहीं है। इससे निगरानीकर्ता का यह तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित जैर निगरानी भूमि विक्रय विलेख संख्या 17 वस्तुतः रास्ते की भूमि से सम्बन्धित है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित 'आबादी भूमि' में रास्ते की भूमि सम्मिलित नहीं है तथा ग्राम पंचायत को उक्त श्रेणी की भूमि के विक्रय का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा कोई विक्रय प्रारम्भतः ही शून्य है तथा अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी ऐसे *ab initio void* प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका में अंकित कथन प्रमाणित पाए जाने से निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा मिसल संख्या 72/2020-21 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 16.10.2021 तथा भूमि विक्रय विलेख संख्या 17 दिनांक 18.10.2021 को अपास्त किया जाता है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बेड़ा को प्रतिप्रेषित निर्देश दिए जाते हैं कि अपास्त किए गए भूमि विक्रय विलेख पर लाल स्याही से बड़े-बड़े अक्षरों में निरस्त का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।



(शैलेन्द्र सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
अतिरिक्त जिला कार्यालय,  
पाली